न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 157/2025 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2025/262**
दायर दिनांक :— 25.06.2025 **निर्णय दिनांक :— 29.09.2025**

1. कालूराम पुत्र बीरूराम जाति विश्नोई निवासी श्रीरामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. दिनेशकुमार पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी श्रीरामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. सुनिल पुत्र पांचाराम जाति विश्नोई निवासी श्रीरामपुरा तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. आईदान पुत्र हरूदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप जिला फलोदी
3. जेठूदान चारण पुत्र हरूदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप जिला फलोदी
4. नकताराम सुथार पुत्र अमराराम सुथार जाति सुथार निवासी शेखासर तह. बाप जिला फलोदी
5. पदमा राजावत पत्नी जेठूदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप जिला फलोदी
6. पपूकंवर पत्नी शंकरदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप जिला फलोदी
7. फरसदान पुत्र हरूदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप जिला फलोदी
8. रेवतदान पुत्र हरूदान जाति चारण निवासी गाडना तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री मोहम्मद रफीक अधिवक्ता अ. सं. 2 ता 8

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 234/147 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 232/147 रकबा 21.1569 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा गाडना पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 234/147 रकबा 8.0937 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 234/147 रकबा 21.1569 हैक्टेयर भूमि की तरमीम पटवारी हल्का द्वारा मौके की जांच किये बिना ही अपने कार्यालय में बैठे—बैठे ऑनलाईन नक्शा में कर दी जो प्रार्थीगण के मौके पर कब्जा व काश्त के भिन्न है। जबकि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा व काश्त वर्तमान तरमीम से भिन्न चला आ रहा है। इसलिये ग्राम गाडना के खेत खसरा नम्बर 234/147 रकबा 8.0937 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 232/147 रकबा 21.1569 हैक्टेयर भूमि के नक्शा लट्ठा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 के कब्जा काश्त के विपरित की गई तरमीम को निरस्त करवा कर उक्त राजस्व खाते का एकीकरण करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

29.9.25

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 8 की और से अधिवक्ता मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब में बताया कि ग्राम गाडना के खेत खसरा नम्बर 234/147 रकबा 8.0937 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 232/147 रकबा 21.1569 हैक्टेयर की तरमीम पूर्व में नक्शा लट्ठा में नहीं हो रखी है। उक्त भूमि खातेदारों का मौके व वर्तमान तरमीम में आंशिक भिन्नता है। उक्त भूमि की वर्तमान तरमीम को पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम गाडना के खेत खसरा नम्बर 234/147 रकबा 8.0937 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 232/147 रकबा 21.1569 हैक्टेयर की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में हो रखी है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम सेग्रीकेशन होने से पूर्व नक्शा लट्ठा में अंकित नहीं थी। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि प्रार्थीगण की तरमीम कब्जा काश्त के भिन्न है तथा सेग्रीकेशन योजना के तहत की गयी जिसे निरस्त किया जाकर उक्त राजस्व खातों का एकीकरण किया जावे। वादग्रस्त खसरा नम्बर 234/147 व 232/147 का एकीकरण किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त की जाकर एकीकरण किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम गाडना पटवार हल्का बडीसिड तहसील बाप जिला फलोदी खसरा नम्बर 234/147 व 232/147 की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर सम्पूर्ण खसरों का एकीकरण किये जाने का आदेश तहसीलदार बाप को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.9.25

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)